क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/22/ 1966

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

दिनांक 7/7/22

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप–धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत बहादुरपुर मीरान, बहादुर पट्टी जोडिया, भजेडा, एवं समीपस्त ग्राम पंचायत किथुर के राजस्व ग्रांम बहादुरपटटी पहाडी, ग्राम पचायत सैंथली के राजस्व ग्रांम मुडियाखेडा को सम्मिलित करते हुए एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है :–

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	अलवर	बहादुरपुर (किशनगढबास)	ग्राम पंचायत बहादुरपुर पटटी मीरान, ग्रांम पंचायत बहादुर पट्टी जोडिया, ग्रांम पंचायत भजेडा, एवं समीपस्त ग्रांम पंचायत किथुर के राजस्व ग्रांम बहादुरपटटी पहाडी, ग्रांम पचायत सैंथली के राजस्व ग्रांम मुडियाखेडा के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए (जनंसख्या – 21,112) जनगणना 2011 के अनुसार

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2022–23 के अन्तर्गत घोषणा के क्रम में जिला कलेक्टर अलवर के प्रस्तावानुसार ग्राम पंचायत बहादुरपुर पट्टी मीरान, ग्रांम पंचायत बहादुर पट्टी जोडिया, ग्रांम पंचायत भजेडा, एवं समीपस्त ग्रांम पंचायत किथुर के राजस्व ग्रांम बहादुर पटटी पहाडी, ग्रांम पचायत सैंथली के राजस्व ग्रांम मुडियाखेडा (जिला अलवर) की विधमान सीमांए ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी । यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/22/ 1967 - 2005

दिनांकः 7/7/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित आयोग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
07. निजी सचिव, सचिव/ आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर/निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
09. **संभागीय आयुक्त जयपुर/जिला कलक्टर अलवर राजस्थान ।**
10. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।/पी.आर.ओ. निदेशालय ।
11. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 20 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
12. समस्त अधिकारीगण एव अनुभाग, निदेशालय राज. जयपुर।
13. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
14. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. सरपच/उपसरपच/सचिव संबधित ग्राम पंचायत उपरोक्तानुसार .जिला अलवर (राज.)।
16. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी